

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

भौमिकीय शाखा

No. Udyog-Bhu(Khani-4)Laghu-92/2002-9047

13.12.2011

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला कांगड़ा के पालमपुर उपमण्डल में पड़ने वाली 9 लघु खनिज खानें/खड्डें जोकि न्यूगल खड्ड का भाग है की नीलामी दिनांक 18-1-2012 को प्रातः 11.00 बजे जिला परिषद हॉल धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में की जायेगी ।

इच्छुक व्यक्ति खानों के पूर्ण विवरण/शर्तों तथा खानों से सम्बन्धित अन्य जानकारी के लिए खनि अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क करें या विभागीय Website www.himachal.nic.in/industry पर पूर्ण विवरण प्राप्त किया जा सकता है। लघु खनिज खानों जैसे रेत, पत्थर व बजरी की नीलामी 3 वर्ष के लिए वार्षिक बोली के आधार पर की जायेगी परन्तु खानों की बोली की स्वीकृति बोली राशि प्राप्ति के आधार पर प्रदेश सरकार की निम्नलिखित नीति के अनुसार प्रदान की जाएगी ।

- | | | |
|----|---|--------|
| 1- | जहां बोली पिछली बोली से 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होती है | 3 वर्ष |
| 2- | जहां बोली पिछली बोली से 20 प्रतिशत से अधिक व 50 प्रतिशत से कम प्राप्त होती है | 1 वर्ष |
| 3- | जहां बोली पिछली बोली से अधिक आती है पर 20 प्रतिशत से कम हो | 3 माह |

हस्ता/-

निदेशक उद्योग

हिमाचल प्रदेश।

Government of Himachal Pradesh
Department of Industries
Geological Wing

No.Udyog-Bhu(Khani-4)Laghu-92/2002-9047

13.12.2011

Auction Notice

It is for the information of general public that the mineral rights of 9 minor mineral quarries which are the part of Neugal khad falling in Palampur Sub Division of District Kangra are being put to public auction on **18.1.2012 at 11.00 A.M. in the Zila Parishad Hall, Dharamshala**, District Kangra, Himachal Pradesh.

The interested persons may contact the Mining Officer, Kangra at Dharamshala for detailed information/terms and conditions of the auction on any working day or the same can be downloaded from the Department **website www.himachal.nic.in/industry**. The auction of minor mineral quarries of Sand, Stone and Bajri shall be conducted for 3 years but approval of the bid shall be on the basis of the bid received as per State Govt. Policy given below:-

- | | | | |
|----|---|---|----------|
| 1. | Where the bid exceeds the previous bid by more than 50% | - | 3 years |
| 2. | Where the bid exceeds the previous bid by more than 20% but does not exceed the previous bid by more than 50% | - | 1 year |
| 3. | Where the bid is more than previous bid but does not exceed more than 20%. | - | 3 months |

Sd/-

Director of Industries
Himachal Pradesh

LIST OF AUCTION PROPOSAL OF (9) MINOR MINERALS QUARRIES FOR RIVER BED MINING OF STONE/BAJRI/SAND IN DISTRICT KANGRA

Sr. No.	Name of Query	Name of Mineral	Khasra No.	Area in Hect.	Mohal	Mauja	Type of Land	Land Owner
PALAMPUR SUB DIVISION								
1.	Neugal Khad Chimbahar	Sand, Stone & Bajri	1	3-26-71	Chimblehar	Rani Sidhpur	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
2.	Neugal Khad Mehnja-1	Sand, Stone & Bajri	179/1/2, 179/2/1, 179/2/3, 179/1	3-9-87	Uperla Mehnja	Mehnja	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
3.	Neugal Khad Mehnja-II	Sand, Stone & Bajri	1/1, 163/1	1-03-40	Uperla Mehnja	Mehnja	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
4.	Neugal Khad (Hangloh)	Sand, Stone & Bajri	342/2, 465/1	1-07-07	Ree	Lahla	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
5.	Neugal Khad (Parour)	Sand, Stone & Bajri	1/1	1-46-40	Katyad	Katyad	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
6.	Neugal Khad (Machlaina)	Sand, Stone & Bajri	2/2	1-00-87	Machlaina	Sulah	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
7.	Neugal Khad (Har-Bahrel)	Sand, Stone & Bajri	1/1	1-43-34	Har Bahrel	Sulah	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
8.	Neugal Khad (Gaggal Khas)	Sand, Stone & Bajri	1046/1, 372/1	1-20-37	Gaggal Khas	Gaggal	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
9.	Neugal Khad (Dhanyara)	Sand, Stone & Bajri	1558/2	4-55-39	Dhanyara	Alampur	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.

नीलामी निम्नलिखित शर्तों के आधार पर की जाएगी ।

- 1— नीलामी के नियम व शर्तें हिमाचल प्रदेश लघु खनिज रियायत संशोधित नियमावली, 1971 के अनुसार नीलामी स्थल पर उद्घोषित भी की जाएगी ।
- 2— बोली प्रतिवर्ष के आधार पर दी जाएगी ।
- 3— कोई भी व्यक्ति जो बोली देने के इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास पेनकार्ड नम्बर होना अतिआवश्यक है तथा वही व्यक्ति बोली आरम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी के पास 50,000/—रूपये धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि खनि अधिकारी, धर्मशाला के नाम देय हो जमा करायेगा । बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोली दाता का नाम व पता लिखा होना चाहिए । जमा ड्राफ्ट, बोली समाप्त होने पर बोलीदाताओं को वापिस कर दिया जाएगा । नीलामी कमेटी किसी विशेष परिस्थिति में धरोहर राशि बढ़ा भी सकती है ।
- 4— यदि कोई बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली दें, परन्तु वांछित राशि उसी समय जमा न करें या बोली देने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त की जायेगी और भविष्य में कम से कम 3 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति बोली न दे सकेगा तथा उसी समय उक्त उत्खनी को पुनः नीलाम कर दिया जाएगा ।
- 5— जिन उत्खनियों के खनिज अधिकारों को नीलामी हेतु अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं० या फिर भौगोलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति/बोलीदाता सम्बन्धित खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है । बोली केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।
- 6— बोलीदाता, बोली देने से पहले यदि चाहे तो वे अपने हित में अधिसूचित खानों का निरीक्षण कर सकता है ।
- 7— बोलीदाता किसी भी जिला में खनन से सम्बन्धित देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए । यदि कोई बोलीदाता विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उसे नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी । यदि बकायादार, नीलामी के मध्य बकाया राशि को जमा कर देता है तो उस अवस्था में वह नीलामी में भाग ले सकता है । यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान बोली पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित की जाएगी तथा खान का ठेका रद्द करके खान को पुनः नीलाम किया जाएगा ।
- 8— रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी ।
- 9— उत्खनी के खनिज अधिकारों की बोली समाप्त होते ही वांछित राशि उच्चतम बोली दाता को पीठासीन अधिकारी के पास निम्न तरीकों से जमा करनी होगी । (i) जहां पर बोली राशि 1000/—रूपये प्रतिवर्ष की दर से अधिक होगी उस अवस्था में उच्च बोलीदाता बोली की 25 प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि के तौर पर तथा बोली की 25 प्रतिशत राशि पहली किश्त के रूप में जमा करवायेगा । प्रतिभूति राशि एफ0डी0आर के रूप में ली जाएगी । (ii) जहाँ बोली 1000/—रु० से कम होगी वहाँ समस्त वार्षिक राशि एक मुश्त जमा करानी होगी तथा उसके अतिरिक्त 25 प्रतिशत प्रतिभूति राशि एवम् अन्य कर जमा करवाने होंगे । इसके अतिरिक्त बोली के आधार पर आयकर एवम् पंचायत टैक्स व अन्य टैक्स समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम बोलीदाता को जमा करवाने होंगे ।
- 10— सरकार को अधिकार है कि वे उच्चतम बोली को बिना किसी कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है ।

- 11- सरकार को अधिकार है कि वे ठेके की अवधि बढ़ा या घटा सकती है।
- 12- कोई भी खनन कार्य राष्ट्रीय उच्च मार्ग /राज्य मार्ग से 60 मी0 व लिंक रोड़ से 50 मी0 की दूरी तक नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त खनन कार्य हि0 प्र0 लघु खनिज(संशोधित) नियमावली-1971 के प्रावधानों व सरकार द्वारा दिनांक 28.2.2004 को अधिसूचित रिवर/स्ट्रीम बैड माईनिंग पॉलिसी के अनुरूप होगी। उपरोक्त नियमों/ अधिसूचना की प्रति, खनि अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।
- 13- बोली के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुर्व्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे बोली में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।
- 14- बोली केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी यदि बोली की स्वीकृति सरकार या अन्य किसी दूसरे सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है। स्वीकृति तिथि तथा नीलामी तिथि के समय अवधि में उच्च बोलीदाता को, बोली के अनुपात में अतिरिक्त राशि जमा करवाने पर अल्प अवधि परमिट लेना होगा। यदि उच्च बोलीदाता परमिट नहीं लेता है तो उस अवस्था में किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति को बोली के अनुपात में परमिट प्रदान किया जाएगा और बोलीदाता की उस पर कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- 15- नीलामी के लिए अधिसूचित लघु खनिज खानों के खनिज अधिकारों को खसरा नम्बरों द्वारा अधिसूचना में दर्शाया गया है, ही मान्य होगा तथा राजस्व रिकार्ड सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित खनि अधिकारी/महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त की जा सकती है।
- 16- यदि नीलाम की गई लघु खनिज खानों का पूर्व ठेका नीलामी के समय चल रहा है तो नीलाम की गई उत्खनि का कब्जा उसी अवस्था में दिया जायगा जब वर्तमान ठेके की अवधि समाप्त होगी।
- 17- बोली में हिस्सा लेने वाले बोलीदाता, बोली के मध्य अपनी आपत्ति उठा सकते हैं। बोली समाप्त होने पर किसी प्रकार की आपत्ति पर सुनवाई नहीं की जाएगी।
- 18- सम्बन्धित ठेकेदार को हिमाचल प्रदेश लघु खनिज संशोधित नियमावली, 1971 के नियम-33 के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर शर्तनामों पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि शर्तनामों पर हस्ताक्षर करने में ठेकेदार इस अवधि के मध्य असफल रहे, तो उस अवस्था में ठेका रद्द समझा जाएगा तथा उस द्वारा जमा करवाई गई प्रतिभूति राशि एवं अग्रिम जमा किश्त की राशि जब्त कर ली जाएगी।
- 19- पर्यावरण के हित में जहाँ सम्भव हो या विभाग द्वारा निर्देशित किया जाये वहाँ ठेकेदार द्वारा पौधारोपण व अन्य भू-स्खलन को रोकने के लिए **Engineering Structure** लगाने होंगे तथा ऐसा न करने पर विभाग द्वारा ठेका रद्द कर दिया जाएगा व जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त विभाग के किसी अधिकारी द्वारा यदि कोई शर्तें पर्यावरण के संतुलन हेतु लगाई जाएं तो ठेकेदार उनको मानने के लिए बाध्य होगा।
- 20- नीलामी समिति को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किसी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जो नीलामी आरम्भ होने से पूर्व इनकी घोषणा की जाएगी तथा सभी बोलीदाताओं को मान्य होगी। इसके अतिरिक्त खनन सम्बन्धि जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे।
- 21- जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी नीलाम की गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्णरूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में रॉयल्टी भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।

- 22- खन्न हेतू मशीन उपकरण **Mechanical/Hydraulic Excavator** जैसे जे0सीबी0, पोकलेन इत्यादि का प्रयोग नियमानुसार निदेशक उद्योग हि0 प्र0 की पूर्व लिखित अनुमति से ही किया जा सकता है ।
- 23- नदी/खड्ड में पहुँचने की सतह तक पहुँच मार्ग बनाने हेतु लोक निर्माण विभाग की सड़क से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करनी होगी ।
- 24- पत्थर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी ।
- 25- उच्चतम बोलीदाता को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मजदूर, नदी/खड्ड में मछलियों का शिकार न करें ।
- 26- खन्न कार्य नदी के धरातल से 3 फुट से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा, तथा किसी भी अवस्था में 3 फुट से गहरे गड्ढे करने की अनुमति नहीं होगी ।
- 27- उप-मण्डल स्तर पर गठित कमेटी द्वारा हर वर्ष खन्न कार्य का पुर्नरीक्षण(Review) किया जाएगा तथा अव्यवस्थित खन्न करने पर ठेका रद्द कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी ।
- 28- उत्खनियों की उच्चतम बोली के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नीति निर्देशों के अनुसार मुल्यांकन करने पर ठेके की अवधि तय की जाएगी ।
- 29- यदि नीलामी के लिए प्रस्तावित की गई खड्ड का हिस्सा संयुक्त निरीक्षण कमेटी द्वारा स्टोन कशर इकाई की आपूर्ति के लिए खन्न पट्टा पर प्रदान करने के लिए नीलामी अधिसूचना जारी होने से पूर्व अनुमोदित किया जा चुका हो तो उस अवस्था में प्रस्तावित उत्खनि में ऐसा क्षेत्र नीलामी क्षेत्र का भाग नहीं होगा । ऐसे क्षेत्रों बारे जानकारी सम्बन्धित खनि अधिकारी से नीलामी तिथि से पूर्व या नीलामी के समय प्राप्त की जा सकती है ।
- 30- खनिजों के एकत्रीकरण से भू स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिए ।
- 31- यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते बन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति वन विभाग के ध्यान में आती है, तो बिना नोटिस जारी किये ठेका रद्द करने की कार्यवाही की जायेगी ।
- 32- नीलामी उन्हीं खड्डों/खानों की ही की जाएगी जिनका अनापत्ति प्रमाण पत्र वन विभाग द्वारा जारी किया गया है ।
- 33- पट्टाधारक/ परमिट धारक ठेके पर स्वीकृत क्षेत्र से खनिजों की मात्रा का मासिक व्यौरा विभाग को देगा ताकि खनिजों के एकत्रीकरण से क्षेत्र के पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन किया जा सके ।
